

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०
परिसर राजकीय आई०टी०आई०, अलीगंज लखनऊ।

पत्रांक: 829 / एस.सी.वी.टी. / ई०टी०-००४ / प्रवेश प्रक्रिया-2025 / नवीन विकल्प / निर्देश / 1298 / 85

लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 2025

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्ष०), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र अगस्त-2025 में द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त परिणामी रिक्त सीटों के सापेक्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों से नवीन विकल्प प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रवेश सत्र अगस्त 2025 से प्रारम्भ होने वाले सत्र हेतु शासनादेश संख्या:63/2022/1020/89-व्या०शि०एवंकौ०वि०वि०-2022-125(बी)/87 दिनांक 06.06.2022 तथा नवीन शासनादेश संख्या:-191/2024/आई/672071/2024/89-1001(099)/59/1019 दिनांक-20.06.2024 में प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुसार राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त रिक्त सीटों पर अपग्रेडेशन के फलस्वरूप परिणामी रिक्त सीटों के सापेक्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों से पुनः विकल्प प्राप्त किये जाने हैं।

परिषद की वेबसाइट **www.scvtup.in** पर अभ्यर्थियों से पुनः व्यवसाय विकल्प रिक्त सीटों के सापेक्ष प्राप्त किये जाने की व्यवस्था **दिनांक 26.07.2025 से 28.07.2025 रात्रि 12.00 बजे तक** उपलब्ध रहेगी। प्रवेश प्रक्रिया की द्वितीय सूची से किये गये प्रवेश एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप संस्थानवार, व्यवसायवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार रिक्त सीटों का विवरण सम्बन्धित संस्थान के लॉगिन में **AdmissionTab** में दृष्टव्य होगा। प्रधानाचार्य, रिक्त सीटों के विवरण का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर संस्थान के सूचना पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करायेंगे एवं तृतीय चरण की प्रक्रिया के अन्त तक प्रदर्शित सूचना को सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। तृतीय चरण प्रक्रिया में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वेबसाइट **http://www.scvtup.in** पर बने लिंक **“प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र अगस्त-2025 हेतु द्वितीय चरण के प्रवेश व उच्चीकरण के उपरान्त परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष नये विकल्पों का ऑनलाइन Submission”** पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि तथा वर्ग प्रविष्ट करनी होगी। तदोपरान्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र में प्रवेश हेतु इच्छित **संस्थान, व्यवसाय, स्थानीय आरक्षण (केवल राजकीय संस्थानों हेतु), उपवर्ग एवं लिंग** का विकल्प पुनः पंजीकृत करा सकते हैं। पुनरीक्षित विकल्प पंजीकृत न कराये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन में प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार तृतीय चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि तथा वर्ग की प्रविष्टि अंकित कर वेबसाइट पर नवीन विकल्प की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।
3. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है, कि वह संस्थान में रिक्त सीटों की व्यवसायवार स्थिति की सूचना सार्वजनिक सूचना पट पर प्रदर्शित करें।
4. नवीन विकल्प पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही वेबसाइट <http://www.scvtup.in> पर दिनांक-26.07.2025 से 28.07.2025 रात्रि 12.00 बजे तक की जा सकेगी। इसके पश्चात सीट आवंटन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या:63/2022/1020/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2022-125(बी)/87 दिनांक 06.06.2022 तथा नवीन शासनादेश संख्या:-191/2024/आई/672071/2024/89-1001(099)/59/1019 दिनांक-20.06.2024 में तृतीय चरण हेतु प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण की जायेगी। तथा अपग्रेडेशन सूची एवं तृतीय चरण चयन सूची कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार कर प्रवेश हेतु प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,
(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

पत्रांक: /एस.सी.वी.टी./ई0टी0-004/प्रवेश प्रक्रिया-2025/नवीन विकल्प/निर्देश/1298/85 ,तद0।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ.प्र. शासन एवं अध्यक्ष, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ को सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रशिक्षण शाखा के समस्त अधिकारी, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्धक, यू0पी0एल0सी0, 10, अशोक मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रबन्धक, मेसर्स ओमनीनेट (वेण्डर यू0पी0एल0सी0) 28 मुरलीनगर कैण्ट रोड लखनऊ को अनुपालनार्थ।

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ०प्र०
परिसर राजकीय आई०टी०आई०, अलीगंज लखनऊ।

पत्रांक: 829 / एस.सी.वी.टी. / ई०टी०-००४ / प्रवेश प्रक्रिया-2025 / नवीन विकल्प / निर्देश / 1298 / 85

लखनऊ: दिनांक 26, जुलाई, 2025

सेवा में,

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त निदेशक (प्रशि०/शिक्ष०), उत्तर प्रदेश।
2. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।

विषय: प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सत्र अगस्त-2025 में द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त परिणामी रिक्त सीटों के सापेक्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों से नवीन विकल्प प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रवेश सत्र अगस्त 2025 से प्रारम्भ होने वाले सत्र हेतु शासनादेश संख्या:63/2022/1020/89-व्या०शि०एवंकौ०वि०वि०-2022-125(बी)/87 दिनांक 06.06.2022 तथा नवीन शासनादेश संख्या:-191/2024/आई/672071/2024/89-1001(099)/59/1019 दिनांक-20.06.2024 में प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुसार राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में द्वितीय चरण प्रवेश प्रक्रिया के उपरान्त रिक्त सीटों पर अपग्रेडेशन के फलस्वरूप परिणामी रिक्त सीटों के सापेक्ष पंजीकृत अभ्यर्थियों से पुनः विकल्प प्राप्त किये जाने हैं।

परिषद की वेबसाइट **www.scvtup.in** पर अभ्यर्थियों से पुनः व्यवसाय विकल्प रिक्त सीटों के सापेक्ष प्राप्त किये जाने की व्यवस्था **दिनांक 26.07.2025 से 28.07.2025 रात्रि 12.00 बजे तक** उपलब्ध रहेगी। प्रवेश प्रक्रिया की द्वितीय सूची से किये गये प्रवेश एवं अपग्रेडेशन प्रक्रिया के फलस्वरूप संस्थानवार, व्यवसायवार, पाठ्यक्रमवार एवं वर्गवार रिक्त सीटों का विवरण सम्बन्धित संस्थान के लॉगिन में **AdmissionTab** में दृष्टव्य होगा। प्रधानाचार्य, रिक्त सीटों के विवरण का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर संस्थान के सूचना पट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करायेंगे एवं तृतीय चरण की प्रक्रिया के अन्त तक प्रदर्शित सूचना को सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करेंगे। तृतीय चरण प्रक्रिया में निम्नानुसार कार्यवाही की जानी अपेक्षित है:-

1. ऐसे अभ्यर्थी जिनको प्रथम एवं द्वितीय चरण में कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वेबसाइट **http://www.scvtup.in** पर बने लिंक **“प्रदेश के राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश सत्र अगस्त-2025 हेतु द्वितीय चरण के प्रवेश व उच्चीकरण के उपरान्त परिणामी रिक्तियों के सापेक्ष नये विकल्पों का ऑनलाइन Submission”** पर क्लिक करें, अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि तथा वर्ग प्रविष्ट करनी होगी। तदोपरान्त अभ्यर्थी आवेदन पत्र में प्रवेश हेतु इच्छित **संस्थान, व्यवसाय, स्थानीय आरक्षण (केवल राजकीय संस्थानों हेतु), उपवर्ग एवं लिंग** का विकल्प पुनः पंजीकृत करा सकते हैं। पुनरीक्षित विकल्प पंजीकृत न कराये जाने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन में प्रस्तुत किये गये विकल्प के अनुसार तृतीय चरण की सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि तथा वर्ग की प्रविष्टि अंकित कर वेबसाइट पर नवीन विकल्प की कार्यवाही पूर्ण की जा सकेगी।
3. समस्त प्रधानाचार्य राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को निर्देशित किया जाता है, कि वह संस्थान में रिक्त सीटों की व्यवसायवार स्थिति की सूचना सार्वजनिक सूचना पट पर प्रदर्शित करें।
4. नवीन विकल्प पंजीकृत किये जाने की कार्यवाही वेबसाइट <http://www.scvtup.in> पर दिनांक-26.07.2025 से 28.07.2025 रात्रि 12.00 बजे तक की जा सकेगी। इसके पश्चात सीट आवंटन की प्रक्रिया शासनादेश संख्या:63/2022/1020/89-व्या0शि0एवं कौ0वि0वि0-2022-125(बी)/87 दिनांक 06.06.2022 तथा नवीन शासनादेश संख्या:-191/2024/आई/672071/2024/89-1001(099)/59/1019 दिनांक-20.06.2024 में तृतीय चरण हेतु प्रदान की गयी व्यवस्था के अनुसार पूर्ण की जायेगी। तथा अपग्रेडेशन सूची एवं तृतीय चरण चयन सूची कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी की सहायता से तैयार कर प्रवेश हेतु प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक

पत्रांक: 829 /एस.सी.वी.टी./ई0टी0-004/प्रवेश प्रक्रिया-2025/नवीन विकल्प/निर्देश/1298/85 ,तद0।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग, उ.प्र. शासन एवं अध्यक्ष, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, अलीगंज लखनऊ को सूचनार्थ।
2. निदेशक, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अधिशासी निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर निदेशक (प्रशि0/शिक्षु0) प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
6. प्रशिक्षण शाखा के समस्त अधिकारी, प्रशिक्षण निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. प्रबन्धक, यू0पी0एल0सी0, 10, अशोक मार्ग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. प्रबन्धक, मेसर्स ओमनीनेट (वेण्डर यू0पी0एल0सी0) 28 मुरलीनगर कैण्ट रोड लखनऊ को अनुपालनार्थ।

(मुन्द्रिका राम)
उपनिदेशक